RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Civil Contempt Petition No. 779/2025

Jagannath S/o Late Shri Dungarmal Khandppa

----Petitioner

Versus

Dr. Debasish Prusty

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Pradeep Mathur
For Respondent(s)	:	Mr. Manoj Sharma, AAG

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

23/02/2026

विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थी का तर्क है कि प्रकरण में न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2023 की पालना हेतु उक्त अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई है, जो कि धारा 20 न्यायालय की अवमानना अधिनियम के अंतर्गत चलने योग्य नहीं है। उनका तर्क है कि उक्त अवमानना याचिका दिनांक 28.07.2025 को प्रस्तुत की गई है। अतः ऐसी स्थिति में उक्त अवमानना याचिका अस्वीकार की जाए।

विद्वान् अधिवक्ता याची का तर्क है कि पूर्व में न्यायालय के आदेश दिनांक 09.02.2026 के द्वारा स्पष्ट रूप से यह आदेशित किया गया था कि प्रत्यर्थी न्यायालय के आदेश दिनांक 09.10.2023 की पालना करें और पालना न करने की स्थिति में प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहें। मात्र उक्त आदेश को विफल करने हेतु उक्त कथन अंकित किए गए हैं। अतः आदेश दिनांक 09.02.2026 की पालना सुनिश्चित कराई जाए।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में धारा 20 न्यायालय की अवमानना अधिनियम के अंतर्गत अवमानना याचिका प्रस्तुत करने की परिसीमा अवधि एक वर्ष है। इस परिप्रेक्ष्य में विद्वान् अधिवक्ता याची बहस करने हेतु समय चाहते हैं। अतः ऐसी स्थिति में याचिका संधारण योग्य है या नहीं, के संदर्भ में पहले बहस सुनी जाकर उसका निस्तारण किया जाएगा।

प्रकरण दिनांक 09.03.2026 को सूचीबद्ध हो। तब तक प्रत्यर्थी संख्या 1 की न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत उपस्थिति से उन्हें उन्मोचित किया जाता है।

(PRAVEER BHATNAGAR),J

MOHIT/ 54